रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-28082026-275847
SG-DL-E-28082026-275847

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 251] दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 28, 2026/भाद्र 6, 1948 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 187

No. 251] DELHI, MONDAY, FRIDAY 28, 2026/BHADRA 6, 1948 [N. C. T. D. No. 187

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह विभाग

(दिल्ली अग्निशमन सेवा)

अधिसूचना

दिल्ली, 28 अगस्त, 2026

एफ. सं. डीएफएस/मुख्यालय/विविध/2026/01(ई-331845)/501— दिल्ली अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2007 (दिल्ली अधिनियम 2, 2009) की धारा 63 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली अग्निशमन सेवा नियम, 2010 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ-**

(1) इन नियमों को दिल्ली अग्निशमन सेवा (संशोधन) नियम, 2026 कहा जाएगा।

(2) ये नियम दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 57 की उपधारा (1) के अंतर्गत संशोधित दिल्ली एकीकृत भवन उप-विधि, 2016 अधिसूचित किए जाने की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

उपबंध है कि, प्रवर्तन की तिथि तक लंबित सभी आवेदनों का निस्तारण आवेदन की तिथि को प्रवृत्त प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

2. दिल्ली अग्निशमन सेवा (संशोधन) नियम, 2025 में, नियम 2 के खंड (viii) का विलोप किया जाएगा।

3. दिल्ली अग्निशमन सेवा (संशोधन) नियम, 2025 में, नियम 2 के खंड (xiii) से "भारत की राष्ट्रीय भवन संहिता" का विलोप किया जाएगा।

4. दिल्ली अग्निशमन सेवा (संशोधन) नियम, 2025 में, नियम 2 के खंड (ix) को खंड (viii) के रूप में तथा खंड (xiii) को खंड (xii) के रूप में पुनः क्रमांकित किया जाएगा।

5. दिल्ली अग्निशमन सेवा नियम, 2010 (जिसे इसके पश्चात् 'मूल नियम' के रूप में संदर्भित किया जाएगा) में, नियम 2 के खंड (x) से खंड (xii) को क्रमशः खंड (ix) से खंड (xi) के रूप में पुनः क्रमांकित किया जाएगा।

6. दिल्ली अग्निशमन सेवा (संशोधन) नियम, 2025 में, नियम 29 में "भारत की राष्ट्रीय भवन संहिता" के स्थान पर "भवन उप-विधि" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

7. दिल्ली अग्निशमन सेवा (संशोधन) नियम, 2025 में, नियम 33 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

33. भवनों के लिए अग्नि रोकथाम और अग्नि सुरक्षा के न्यूनतम मानक:

1. अधिनियम की धारा 32 और धारा 35 के प्रयोजन के लिए, भवन की ऊँचाई तथा अधिभोग की श्रेणी यथाप्रयोज्य के संदर्भ में अग्नि-निवारण एवं अग्नि-सुरक्षा के न्यूनतम मानक निम्नलिखित विषयों से संबंधित समय-समय पर यथासंशोधित भवन उप-विधि में यथाविहित होंगे:

   1. अग्निशमन वाहनों के परिसर तक आवागमन हेतु न्यूनतम 06 मीटर चौड़ा मार्गाधिकार।
   2. अग्नि-अवरोधक द्वारों और/या दाब-प्रणाली (प्रेशराइज़ेशन) के माध्यम से धुएं एवं आग के उत्पादों से निकास द्वारों की सुरक्षा।
   3. अग्नि एवं धुआँ अवरोधक, अग्नि-निरोधक तथा धुआँ प्रबंधन प्रणाली।
   4. अग्निशामक यंत्र ।
   5. अग्निशमन होज़ रील।
   6. आटोमेटिक फायर डिटेक्शन और अलार्म प्रणाली ।
   7. एम.ओ.ई.एफ.ए. (MOEFA)।
   8. सार्वजनिक सम्बोधन प्रणाली और/या ध्वनि-आधारित निकासी प्रणाली।
   9. स्वचालित स्प्रिंकलर और अग्निशमन प्रणाली ।
   10. आंतरिक हाइड्रेंट्स (वेटराइजर और/या डाउनकमर) और यार्ड हाइड्रेंट्स (रिंगमेन)।
   11. पंपिंग व्यवस्था के साथ फायर पंप हाउस और पंप हाउस तक अग्निशामकों के लिए सुरक्षित पहुँच मार्ग ।
   12. अग्निशमन हेतु समर्पित जल भंडारण ।

13. एग्जिट साइनेज (निकास संकेत), तल क्रमांकन और निकास की ओर जाने वाले गलियारों में रिफ्लेक्टिव टेप चिह्नांकन।

14. अग्निशमन टावर और अग्निशमन लिफ्ट के प्रावधान।

15. जहां प्रदान किए गए हों, निम्नलिखित प्रणालियों और उपकरणों के लिए आपातकालीन बिजली आपूर्ति:

- फायर पंप
- दाब-प्रणाली और स्मोक वेंटिंग; जिसमें इसके सहायक सिस्टम जैसे डैम्पर्स और एक्चुएटर्स शामिल हैं
- फायरमैन लिफ्ट (सभी लिफ्टों सहित)
- एग्जिट साइनेज लाइटिंग
- आपातकालीन प्रकाश व्यवस्था
- फायर अलार्म सिस्टम
- सार्वजनिक सम्बोधन प्रणाली (आपातकालीन ध्वनि-आधारित निकासी और घोषणा से संबंधित)
- मैग्नेटिक डोर होल्ड ओपन डिवाइसेज
- फायर कमांड सेंटर में प्रकाश व्यवस्था

16. फायर चेक फ़्लोर और रिफ्यूज एरिया।

17. स्वचालित सतत निगरानी प्रणाली के साथ अग्नि नियंत्रण कक्ष।

18. विशेष जोखिमों की सुरक्षा के लिए विशेष अग्नि सुरक्षा प्रणाली।

उपबंध है कि जिन अधिभोग श्रेणियों अथवा भवनों या परिसरों के लिए भवन उप-विधि में अग्नि-निवारण और अग्नि-सुरक्षा के उपाय विहित नहीं किए गए हैं, उनके संबंध में निदेशक ऐसे अधिभोगों अथवा भवनों या परिसरों के स्वामी या अधिभोगी से अग्नि-सुरक्षा प्रकोष्ठ द्वारा निर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप अग्नि-निवारण और अग्नि-सुरक्षा उपाय करने की अपेक्षा कर सकेगा:

उपबंध यह भी है कि जहाँ सरकार की अभिमत है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह, लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, विशेष क्षेत्रों में किसी भवन या परिसर की किसी अधिभोग श्रेणी के संबंध में अथवा किसी ऐसे क्षेत्र में स्थित किसी भवन या परिसर के संबंध में, जिसका निर्माण इन नियमों के प्रवर्तन की तिथि से पूर्व किया गया था या जो उस तिथि से पूर्व निर्माणाधीन था, इन नियमों के अधीन अग्नि-निवारण और अग्नि-सुरक्षा उपायों से संबंधित किसी अपेक्षा को आदेश द्वारा शिथिल, उपांतरित या निरस्त कर सकेगी।

(2) जहाँ निदेशक का यह मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह, लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, भवनों या परिसरों के स्वामी या अधिभोगी से अतिरिक्त अग्नि-निवारण और अग्नि-सुरक्षा उपाय करने की अपेक्षा कर सकेगा। ”

6. दिल्ली अग्निशमन सेवा (संशोधन) नियम, 2026 में, सातवीं अनुसूची के 'प्रारूप-जे' (Form J) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:

प्रपत्र' J'

[नियम 35 देखें]

अग्नि सुरक्षा ऑडिटर द्वारा दिल्ली अग्निशमन सेवा नियमावली-2010 के नियम-35 के अंतर्गत निरीक्षण रिपोर्ट

1. यूआईडी संख्या.
2. भवन का नाम और पता:
3. निरीक्षण के दौरान अवलोकित भूतल, उसके नीचे एवं ऊपरी तल के स्तरों सहित प्रत्येक तल का अधिभोग:
4. पिछले अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र का विवरण:
5. निरीक्षण की तिथि:
6. निरीक्षण के दौरान उपस्थित स्वामी/अधिभोगी के प्रतिनिधि का नाम और पदनाम:

क्रमांक	नियम 33 के अंतर्गत अग्नि रोकथाम एवं अग्नि सुरक्षा पर न्यूनतम मानक	नियम 35 के अंतर्गत आवश्यकता	स्थल पर स्थिति	टिप्पणी एमआर/एनएमआर*
1.	भवन तक पहुंच			
	• पहुँच मार्ग की चौड़ाई • गेट की चौड़ाई • इमारत के चारों ओर आंतरिक पहुंच मार्ग की चौड़ाई			
2.	आग के उत्पादों से निर्गम मार्गों का संरक्षण			
	क. अग्नि रोधक द्वार			
	• ऊपरी मंजिलें			
	• भूमिगत तल			
	ख. दाब-प्रणाली			
	• सीढ़ी			
	• लिफ्टवेल			
	• लिफ्टलॉबी			
3.	क. अग्नि एवं धुआँ अवरोधक, अग्नि-निरोधक तथा धुआँ प्रबंधन प्रणाली			
	• अग्नि-रोधक द्वार			
	• विद्युत शाफ्टों की सीलिंग			
	• अग्नि/धुएं/वाटर कर्टेन			
	• अग्नि डैम्पर			

	ख. धुआँ प्रबंधन प्रणाली			
	• भूमिगत तल • भू-तल और ऊपरी तल			
4.	अग्नि शामक			
	• कुल संख्या • प्रकार • आईएस मार्किंग			
5.	अग्निशमन होज़ रील			
	• प्रत्येक मंजिल पर कुल संख्या • होज़ रील होज़ की लंबाई • नोजल व्यास			
6.	आटोमेटिक फायर डिटेक्शन और अलार्म प्रणाली			
	• डिटेक्टरों के प्रकार • मुख्य पैनल का स्थान • रिपीटर पैनल का स्थान • हूटर्स का स्थान • विद्युत का वैकल्पिक स्रोत			
7.	एमओईएफए (MOEFA)			
8.	सार्वजनिक सम्बोधन प्रणाली और/या ध्वनि-आधारित निकासी प्रणाली			
9.	स्वचालित स्प्रिंकलर प्रणाली और अग्निशमन प्रणाली			
	• भूमिगत तल			
	• भू-तल और ऊपरी तल			
10.	क. आंतरिक हाइड्रेंट			
	• राइज़र/डाउन-कॉमर का आकार			
	• प्रति मंजिल हाइड्रेंट की संख्या			
	• होज़ बॉक्स			
	ख. यार्ड हाइड्रेंट्स			
	• हाइड्रेंटों की कुल संख्या			
	• होज बॉक्स			
11.	पंपिंग व्यवस्था			
	क. भू-तल/भूमिगत तल			
	• मुख्य पंप का निर्वहन • मुख्य पंप का हैड • मुख्य पंपों की संख्या • जॉकी पंप आउटपुट			

	• जॉकी पंप का हैड			
	• स्टैंडबाय पंप का आउटपुट			
	• स्टैंडबाय पंप का हैड			
	• स्वचालित आरंभ/मैन्युअल अवरोधन			
	• पंप हाउस तक अग्निशामक की संरक्षित पहुंच			
	ख. छत स्तर			
	• पंप का निर्वहन			
	• पंप का हैड			
	• विद्युत की आपूर्ति			
	• पंप का स्वचालित प्रारंभ			
	• छत पर बने टैंक/पंप तक पहुँच			
12.	आग बुझाने के लिए जल भंडारण की व्यवस्था			
	क.भूमिगत टैंक क्षमता			
	• निकासी कनेक्शन			
	• अग्निशमन सेवा प्रवेश द्वार			
	• टैंक तक पहुंच			
	ख. ओवरहेड टैंक क्षमता • टैंक तक पहुँच			
13.	• निकास के संकेत-चिह्न			
	• तलों का संख्या क्रम			
	• निकास द्वारों तक जाने वाले मार्गों पर रिफ्लेक्टिव टेप लगाना			
14.	अग्निशमन टावर और अग्निशमन लिफ्ट के प्रावधान			
	• अग्निशमन टावर का संरक्षण			
	• लॉबी का संरक्षण			
	• लिफ्ट कार में संचार			
	• फायरमैन ग्राउंडिंग स्विच			
	• लिफ्ट संकेत-चिह्न			
15.	आपातकालीन विद्युत आपूर्ति			
	• फ़ायर पंप			

	• प्रेशराइज़ेशन और स्मोक वेंटिंग; जिसमें इसके सहायक सिस्टम जैसे कि निम्न शामिल हैं।			
	• डैम्पर और एक्चुएटर			
	• फायरमैन लिफ्ट (सभी लिफ्ट सहित)			
	• निकास साइनेज लाइटिंग			
	• इमरजेंसी लाइटिंग			
	• फायर अलार्म सिस्टम			
	• सार्वजनिक सम्बोधन प्रणाली और/या ध्वनि-आधारित निकासी प्रणाली			
	• मैग्नेटिक डोर होल्ड-ओपन उपकरण			
	• फायर कमांड सेंटर में लाइटिंग			
16.	फायर चेक फ़्लोर और रिफ्यूज एरिया			
	• फायर चेक फ़्लोर			
	• रिफ्यूज एरिया			
	• कुल क्षेत्र			
	• अवस्थिति			
17.	स्वचालित सतत निगरानी प्रणाली के साथ अग्नि नियंत्रण कक्ष			
	• डिटेक्टर प्रणाली पैनल			
	• फ्लोस्विच पैनल			
	• पीए प्रणाली पैनल			
	• बैटरी बैकअप			
	• भवन के फ्लोर प्लान			
18.	विशेष जोखिम की सुरक्षा के लिए विशेष अग्नि सुरक्षा प्रणाली, यदि कोई हो:			

*एमआर/एनएमआर: आवश्यकता पूरी करना/आवश्यकता पूरी न करना

टिप्पणियाँ (यदि कोई हों):

हस्ताक्षर………………………………………..
अग्नि सुरक्षा ऑडिटर का नाम……………………..
ईमेल आईडी...
दूरभाष संख्या...............................…………
मोबाइल संख्या..
अग्नि सुरक्षा ऑडिटर का स्तर……पंजीकरण संख्या.........
मोहर..

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के
उप-राज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

अजय कुमार शर्मा, उप-सचिव (गृह)

HOME DEPARTMENT

(Delhi Fire Service)

NOTIFICATION

Delhi, the 28th August, 2026

F. No. DFS/HQ/Misc./2026/01(E-331845)/501.—In exercise of the powers conferred by Section 63 of the Delhi Fire Service Act, 2007 (Delhi Act 2 of 2009), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby makes the following amendments in the Delhi Fire Service Rules, 2010, namely:

1. **Short title and commencement-**

(1) These Rules may be called the Delhi Fire Service (Amendment) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date as and when the amended UBBL-2016 is notified under sub-section (1) of Section 57 of Delhi Development Act, 1957 by the Delhi Development Authority.

Provided that all applications pending on date of commencement shall be processed under the provisions in force on the date of application.

2. In the Delhi Fire Service (Amendment) Rules, 2025, rule 2(viii) shall be omitted.

3. In the Delhi Fire Service (Amendment) Rules, 2025, “National Building Code of India” shall be omitted from rule 2(xiii).

4. In the Delhi Fire Service (Amendment) Rules, 2025, rule 2(ix) shall be renumbered as rule 2(viii) and rule2 (xiii) shall be renumbered as rule 2(xii).

5. In the Delhi Fire Service Rules, 2010 (hereinafter referred to as the Principal Rules), rule 2(x) to rule 2(xii) shall be renumbered as rule 2(ix)to rule 2(xi) in sequence.

6. In the Delhi Fire Service (Amendment) Rules, 2025, “National Building Code of India” shall be substituted with “Building Bye – Laws” in rule 29.

7. In the Delhi Fire Service (Amendment) Rules, 2025, the rule 33 shall be substituted namely,

33. Minimum standards for fire prevention and fire safety for buildings

1. The Minimum standards for fire prevention and fire safety for the buildings as may be applicable with reference to the height of the building and class of occupancy for the purpose of Section 32 and Section 35 of the Act shall be as are provided in the Building Bye-Laws as amended time to time relating to the following matters:

(1) Minimum 06 meters right of way for fire engines upto the premises.

(2) Protection of Exits from fire products by means of Fire Check Door

(s) and or pressurization.

(3) Fire and Smoke Barrier, Fire Stop and Smoke Management System.

(4) Fire Extinguishers.

(5) First–Aid Hose Reels.

(6) Automatic fire detection and alarming system.

(7) MOEFA.

(8) Public Address System and or Voice Evacuation System.

(9) Automatic Sprinkler and Fire Suppression System.

(10) Internal Hydrants (Wet Riser and or Down Comer) and Yard Hydrants (Ring Main).

(11) Fire Pump House with Pumping Arrangements and protected access for fireman upto pump house.

(12) Captive Water Storage for firefighting purposes.

(13) Exit Signage, Floor Numbering & Reflective Tape marking in corridors leading to Exits.

(14) Provision of Fire Tower and Fire Lifts.

(15) Emergency power for the following system and equipment where provided: -

a) Fire pumps
b) Pressurization and smoke venting; including its ancillary systems such as dampers and actuators.
c) Fireman’s lifts (including all lifts).
d) Exit signage lighting
e) Emergency lighting
f) Fire alarm system
g) Public address (PA) system (relating to emergency voice vacuation and annunciation)
h) Magnetic door holds open devices
i) Lighting in fire command centre.

(16) Fire Check Floor and Refuge Area.

(17) Fire Control room with Automated Continuous Monitoring System.

(18) Special Fire Protection Systems for Protection of Special Risks:

Provided that classes of occupancies or buildings or premises for which fire prevention and fire safety measures are not provided in the Building Bye-Laws, the Director may require owner or occupier of such occupancies or buildings or premises to provide fire prevention and fire safety measures in accordance with international standards as may be provided by the fire prevention wing:

Provided further that where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax or modify or annul any requirement concerning fire prevention and fire safety measures under these rules with respect to any class of occupancy in any building or premises in special areas or in respect of any building or premises in any area that was constructed or which was under construction prior to the date of enforcement of these rules.

(2) Where the Director is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, for reason to be recorded in writing, require the owner or occupier of the buildings or premises to provide additional fire prevention and

fire safety measures."

6. In the Delhi Fire Service (Amendment) Rules, 2026, the Form 'J' of the Seventh Schedule shall be substituted namely,

FORM 'J'

[See rule 35]

INSPECTION REPORT BY FIRE SAFETY AUDITOR UNDER RULE-35 OFDFS RULES-2010

1. *UID No.*
2. *Name and address of the building:*
3. *Details of below and above ground Levels along with each level Occupancy As observed during inspection:*
4. *Details of Previous FSC:*
5. *Date of inspection:*
6. *Name and designation of the representative Of the owner/occupier present during inspection:*

S. No.	Minimum Standards on fire prevention and fire safety Under Rule 33	Requirement under Rule 35	Status at site	Remarks MR/NMR*
1.	Access to building			
	• Width of access road			
	• Gate width			
	• Width of internal access Road all around the building			
2	Protection of Exits from fire products			
	a. Fire Check Doors			
	• Upper Floors			
	• Basements			
	b. Pressurization			
	• Staircase			
	• Lift well			
	• Lift Lobby			
3.	a. Fire and smoke Barrier, Fire Stop and Smoke Management.			
	• Fire check door			
	• Sealing of electrical shafts			
	• Fire/Smoke/Water Curtain			
	• Fire Dampers			
	b. Smoke Management System			
	• Basements			
	• Ground and Upper floors			
4.	Fire Extinguishers			
	• Total numbers			
	• Types			
	• IS marking			

5.	*First-Aid Hose Reels*			
	• *Total numbers on each floor*			
	• *Length of hose reel hose*			
	• *Nozzle diameter*			
6	Automatic fire detection and alarming system			
	• *Type of detectors*			
	• *Location of Main Panel*			
	• *Location of Repeater Panel*			
	• *Hooters' Location*			
	• *Alternate source of power*			
7.	*MOEFA*			
8.	*Public Address System and or Voice Evacuation System*			
9.	*Automatic Sprinkler and Fire Suppression System*			
	• *Basements*			
	• *Ground and Upper floors*			
10.	*(a)Internal Hydrants*			
	• *Size of riser/down-comer*			
	• *Number of hydrants per floor*			
	• *Hose Box*			
	(b) Yard Hydrants			
	• *Total number of hydrants*			
	• *Hose Box*			
11.	*Pumping Arrangements*			
	a. *Ground/Basement Level*			
	• *Discharge of main Pump*			
	• *Head of Main pump*			
	• *Number of main pumps*			
	• *Jockey Pump output*			
	• *Jockey pump head*			
	• *Standby Pump output*			
	• *Standby Pump Head*			
	• *Auto Starting/Manual Stopping*			
	• *Pump House protected Access for fireman*			
	b. *Terrace level*			
	• *Discharge of pump*			
	• *Head of the pump*			
	• *Power Supply*			
	• *Auto Starting of pump*			
	• *Access to terrace tank /pump*			
12.	*Captive Water Storage for firefighting*			
	a. *Underground tank capacity*			
	• *Draw-off connection*			

	• *Fire service inlet*			
	• *Access to tank*			
	b. *Overhead Tank capacity*			
	• *Access to tank*			
13	• *Exit Signage*			
	• *Floor Numbering*			
	• *Reflective Tape marking in Corridors leading to Exits*			
14.	*Provision of Fire Tower and Fire Lifts.*			
	• *Protection of Fire Tower*			
	• Protection of lobby			
	• Communication In lift Car			
	• Fireman's Grounding Switch			
	• Lift Signage			
15.	*Emergency power supply*			
	• *Fire pumps*			
	• *Pressurization and smoke venting; including its ancillary systems such as Dampers and actuators.*			
	• *Fireman's lifts (including all lifts).*			
	• *Exit signage lighting*			
	• *Emergency lighting*			
	• *Fire alarm system*			
	• *Public address (PA) system (relating to emergency voice evacuation and annunciation)*			
	• *Magnetic door holds open devices.*			
	• *Lighting in fire command centre*			
16.	*Fire Check Floor and Refuge Area.*			
	• *Fire Check Floor*			
	• *Refuge Area*			
	• *Total Area*			
	• *Location*			
17.	*Fire Control room with Automated Continuous Monitoring System.*			
	• *Detector System Panel*			
	• *Flow Switch Panel*			

	• *PA System Panel*			
	• *Battery backup*			
	• *Building Floor Plans*			
18.	*Special Fire Protection System* *For Protection of special Risks, if any:*			

**MR/NMR: Meeting the requirement/Not Meeting the requirement Notes (if any):*

Signature……………………………….……….……
Name of the Fire Safety Auditor…….….…………….
Email ID...….........
Telephone No....................................……………
Mobile No...
Fire Safety Auditor Level……Registration No.........
Stamp...….......

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

AJAY KUMAR SHARMA, Dy. Secy. (Home)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

RAVINDER KUMAR Digitally signed by RAVINDER KUMAR
Date: 2026.08.28 16:21:50 +05'30'